कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांकः अ0छा0क0/**698** दिनांकः जुलाई 27, 2018

विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु अति आवश्यक दिशा–निर्देश

पंतनगर विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास में छात्रों का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। हमारे छात्र देश–विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं देकर राष्ट्र एवं विदेश सेवा हेतु अपनी पहचान बना चुके हैं । वर्तमान छात्रों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने वरिष्ठों का अनुकरण कर अपना भविष्य उज्जवल बनाने हेतु हॉस्टल एंड कैफेटेरिया रैगुलेशन्स / एकेडेमिक रेगुलेशन्स की व्यवस्थानुसार निम्न अति महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन अवश्य ही सुनिश्चित करेंगे तथा अनुशासनहीनता / कमजोर शैक्षणिक प्रदर्शन से बचेंगे।

1. नियम–13 के तहत महाविद्यालय एवं छात्रावास में प्रवेश के समय तथा वि0वि0 परिसर में सुरक्षा कर्मियों अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर छात्र अपना परिचय पत्र अवश्य दिखाएंगे। परिचय पत्र न दिखा पाने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी के विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। अतः सलाह दी जाती है कि छात्र अपना परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखें ।
2. नियम–6 के तहत छात्रावासों में विद्यार्थियों द्वारा किसी भी विद्यार्थी/आगंतुक को अपने साथ कमरे में रखना प्रतिबन्धित है। उक्त नियम का पालन न करने की स्थिति में विद्यार्थी को छात्रावास से अस्थाई अथवा स्थाई रूप से निष्कासित किया जा सकता है। अतः सलाह दी जाती है कि विद्यार्थी अपने साथ किसी भी अन्य को आवासित न करें।
3. सभी छात्र छात्रावास नियमों का पालन करें। परिसर से बाहर जाने की स्थिति में नियम 31 के तहत छात्रावास अभिरक्षक से तथा नियम 34 के तहत मुख्य छात्रावास अभिरक्षक से अवकाश स्वीकृत कराने के उपरांत ही प्रस्थान करेंगे। इसका उल्लंघन अनुशासनहीनता समझा जाएगा तथा नियम 33 के तहत छात्रावास से निष्कासन भी किया जा सकता है । अतः सलाह दी जाती है कि अवकाश स्वीकृत कराने के उपरान्त ही परिसर से बाहर प्रस्थान करें ।
4. नियम 30 के तहत वि0वि0 परिसर में मोटरचालित दोपहिया/चारपहिया वाहन का रखना अथवा प्रयोग करना छात्रों के लिए प्रतिबन्धित होने के कारण इन वाहनों को न तो परिसर में कहीं भी रखा जाएगा और न ही इनका प्रयोग किया जाएगा। परिसर में विद्यार्थियों द्वारा मोटरचालित वाहन प्रयोग करते हुए पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ–साथ उसके वाहन को जब्त किया जायेगा। अतः सलाह दी जाती है कि सभी छात्र मोटर चालित वाहन के स्थान पर साइकिल, ई–रिक्शा तथा वि0वि0 शटल का प्रयोग करें ।
5. छात्रावासों के अन्दर जो भी जन्मदिन आदि मनाए जायें, वह शांतिपूर्ण तरीके से रात्रि 10.00 बजे तक ही मनाये जा सकते हैं तथा ऐसे अवसरों पर ऐसे किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न किया जाये जिससे छात्रावास अथवा बाहरी परिसर में किसी अन्य को असुविधा हो। उल्लघंन की स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी के विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अतः सलाह दी जाती है कि छात्र ऐसे आयोजनों को शालीनतापूर्वक ही आयोजित करें।
6. नियम 38 V(B) तथा 40 (VII) के तहत छात्रावास के सामान्य कक्ष, भोजनालय हाल तथा छात्रावास के बाहर वि0वि0 परिसर में औपचारिक/शालीन वेशभूषा धारण करेंगें। उपरोक्त का उल्लंघन अनुशासनहीनता समझा जायेगा। अतः सलाह दी जाती है कि सभी छात्र एवं छात्राएं शालीन वेशभूषा धारण करें ।
7. नियम 41(r) के तहत सुरक्षा कारणों से छात्रावास के बाहर विश्वविद्यालय परिसर में कहीं भी इयर फोन का प्रयोग प्रतिबन्धित है। इसका उल्लंघन अनुशासनहीनता समझा जाएगा। अतः सलाह दी जाती है कि छात्रावास के बाहर इयर फोन का प्रयोग न करें।
8. समय सदुपयोग की दृष्टि से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि परिसर में कक्षाओं के अतिरिक्त समय में वे पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं तथा सीसीएफ आदि स्थानों का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सदुपयोग करें।

27/7/2018

9. विश्वविद्यालय नियमानुसार कक्षाओं में 85 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में उपस्थिति 10 प्रतिशत तक माफ हो सकती है। 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में सम्बन्धित विषय में विद्यार्थी फेल माना जायेगा। अतः सलाह दी जाती है कि विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहकर फेल होने से बचें।
10. विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है। परीक्षा में नकल करना प्रतिबन्धित है। अवगत हों कि नकल में पकडे जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय से निष्कासन किया जायेगा तथा द्विबिन्दु चरित्र प्रमाणपत्र नहीं दिया जायेगा। अतः सलाह दी जाती है कि आप अपनी पढाई मेहनत एवं लगन से करें तथा नकल की प्रवृत्ति से बचें।
11. वि0वि0 शिक्षा का एक पवित्र मंदिर है, यहां धूम्रपान अथवा किसी भी नशे का सेवन पूर्णतयः प्रतिबन्धित है। सर्वविदित है कि धूम्रपान एवं नशे का सेवन दण्डनीय अपराध है । अतः सलाह दी जाती है कि सभी छात्र धूम्रपान अथवा नशे के सेवन से अपने आपको दूर रखें।
12. अनुशासनहीनता के लिए दण्डित होने पर चरित्र परिवीक्षा (सी.पी.) पर रखे जाने की स्थिति में वि0वि0 से देय समस्त सुविधायें बन्द हो जाती हैं। अतः ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको अनुशासनहीनता की श्रेणी में आना पडे। अतः सलाह दी जाती है कि अनुशासनहीनता की कार्यवाही से अपने आपको दूर रखें।
13. रैगिंग करना अपराध है। पकडे जाने पर जेल जाने जैसे गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। अतः सलाह दी जाती है कि रैगिंग जैसे कृत्यों में लिप्त होने से बचें।
14. भारत सरकार के स्वच्छता मिशन को सफल बनाना सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य है। अतः सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालयों/छात्रावासों तथा वि0वि0 परिसर में सभी स्थानों पर स्वच्छता बनाये रखने में अपना योगदान दें। स्वच्छता का पालन न करने की स्थिति में इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जायेगा। अतः सलाह दी जाती है कि महाविद्यालयों/छात्रावासों तथा वि0वि0 परिसर सभी स्थानों पर स्वच्छता बनाये रखें।
15. विद्यार्थी सुरक्षाकर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे तथा उनसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करेंगे । निर्देश नियमानुसार न होने की स्थिति में विद्यार्थी अपनी लिखित शिकायत छात्रावास अभिरक्षक/मुख्य छात्रावास अभिरक्षक को प्रस्तुत करेंगे। इस हेतु ईमेलः–fbs.dsw.gbpuat@gmail.com का भी प्रयोग कर सकते हैं।
16. महाविद्यालय एवं छात्रावास में सी.सी.टी.वी. कैमरों द्वारा निगरानी की जा रही है तथा वि0वि0 परिसर में सुरक्षा कर्मियों की सहायता से विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा उक्त नियमों का कियान्वयन कराया जायेगा। अतः सलाह दी जाती है कि विद्यार्थी अपना व्यवहार संयमित रखें।
17. यह विश्वविद्यालय आपका है। विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। अपनी महत्ता को पहचानते हुए विश्वविद्यालय की गरिमामयी प्रगति हेतु सदैव प्रयासरत रहने की आपसे अपेक्षा की जाती है। अतः सलाह दी जाती है कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचे।

27/7/18
(आर0एस0 जादौन)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः

1. समस्त अधिष्ठाताओं को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त का सभी विद्यार्थियों के मध्य व्यापक प्रचार कराने का कष्ट करें।
2. समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त का सभी विद्यार्थियों के मध्य व्यापक प्रचार कराने का कष्ट करें तथा अपने छात्रावास के सूचनापट्ट पर भी लगवाने का कष्ट करें।
3. कुलसचिव को सूचनार्थ।
4. निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सुरक्षाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।